


दिनांक...  
पक्षकारनामककुलप उपस्थित ।

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली  
के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल  
सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन  
रखा गया है, जिसमें राजस्व लोक अदालत विचारार्थी  
व नवीन राजस्व प्रकरणां का लोक अदालत की भावना के  
तहत पक्षकारों के मध्य समझौता/सिद्धौत अथवा मेरिट  
के आधार पर विधिबद्धता को हटाकर विधि आदेशों ।

अतः इस पत्रावली में संबंधित ग्राम पंचायतों को नोटिस  
द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत  
केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय, अटल सेवा केन्द्र, गोधरा  
पर आयंदा दिनांक.../6/5/2016 को पेश हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

### राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

16/5/16 पक्षकार मध्य सरकार पत्रो. उपन।

यह पत्रा राजस्व लोक अदालत  
केम्प कोर्ट गोधरा में वसोज काज  
पेश हुई। इस पत्रावली से संबंधित

मूलवाद पत्रावली सं. वा. 2/2016  
भुराराम एच/5 सरकार में निर्णय.  
ये लुकाई कर: इस पत्रा. की.  
कार्यवाही को आगे चलाना उचित  
नहीं समझते हैं कर: इस पत्रा  
की अग्रिम कार्यवाही उपरोक्त  
आती है पत्रावली फेलाल में शुभ्र  
व नंबर से कम होकर दायिल  
द्वारा है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली